न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

रामविलास मीना उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत खूबनगर हिस्सा 1/3 तहसील व जिला करौली राज. — अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, करौली तहसील व जिला करौली राज. — प्रत्यर्थी

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 29.12.2020 न्यायालय जिला रसद अधिकारी, करौली विभागीय मुकदमा नंबर 122/22.09.2020 उनवानी सरकार बनाम रामविलास जिसकी रूह से प्राधिकार पत्र संख्या 176/06 ग्राम पंचायत खूबनगर हिस्सा 1/3 को निरस्त किया गया है, के विरुद्ध अपील

निर्णय

दिनांक 16.08.2021

यह अपील राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 की धारा 22 के तहत पेश की गई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत खूबनगर के राशन उपभोक्ताओं द्वारा अपीलार्थी राशन डीलर के विरुद्ध पोस मशीन पर अंगूठा लगवा लेने एवं राशन सामग्री वितरण नहीं करने की शिकायत पर जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा आदेश क्रमांक–820–823 दिनांक 08.09.2020 द्वारा जांच दल का गठन किया गया। जांच दल द्वारा ग्राम भौडेर स्थित उचित मूल्य दुकान पर पहुंच कर मौके पर उपस्थित शिकायतकर्ताओं/उपभोक्ताओं से पूछताछ करने पर माह अगस्त 2020 में पोस मशीन पर दो बार अंगूठा लगवाना, दो बार ऑनलाइन राशन वितरण करना जबकि उपभोक्ताओं को वास्तविक रूप से एक बार ही राशन वितरण करना, पोस मशीन के स्टॉक व राशन दुकान में मौजूद स्टॉक का भौतिक सत्यापन करने पर 23.22 क्विं. गेंहूं कम पाया जाना, आदि अनियमितताएं पायी जाने पर अपीलार्थी राशन डीलर का प्राधिकार पत्र दिनांक 29.12.2020 को जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा निरस्त किया गया जिसके विरुद्ध यह अपील पेश की गई है।

अपील, अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलार्थी ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय जैर अपील दिनांक 29.12.2020 पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व रिकॉर्ड के विपरीत, विरुद्ध कानून होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय करते समय प्रार्थी अपीलाण्ट को जवाब पेश करने तथा सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना एक तरफा आदेश पारित किया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट एक अधिकृत उचित मूल्य दुकानदार है तथा ग्राम पंचायत खूबनगर तहसील व जिला करौली 1/3 हिस्सा के लिये उचित मूल्य दुकानदार नियुक्त है व अपीलाण्ट पिछले कई वर्षों से उपभोक्ताओं एवं निरीक्षणकर्ताओं क पूर्ण संतुष्टि एवं बिना किसी शिकायत का अवसर दिये राशन सामग्री का वितरण करता चला आ रहा है। अपीलाण्ट का प्राधिकार पत्र संख्या 176/06 है। शिकायतकर्ता द्वज्ञरा प्रार्थी अपीलाण्ट की शिकायत बिना किसी आधार के निराधार पेश की थी। शिकायत के आधार पर दिनांक 18.09.2020 के दिवस जांच कमेटी करौली द्वारा मौका अवलोकन (जांच) किया गया। उस दिन

जिला कलक्टर करौली

अपीलाण्ट व प्रार्थी मौके पर मौजूद था। अपीलाण्ट ने उचित मूल्य दुकार पर जाकर भौतिक सत्यापन करवाया व दस्तावेजों की जांच करवाई। अपीलाण्ट के खिलाफ शिकायतकर्ताओं ने झूंठी शिकायत पेश की थी। शिकायतकर्ताओं के द्वारा पोस मशीन पर अपना अगूंठा लगाकर गेंहूं राशन सामग्री प्राप्त कर ली गई थी। शिकायतकर्ताओं ने राशन सामग्री गेंहूं प्राप्त कर लिये थे जिसका इन्द्राज राशनकार्डों व पोस मशीन में इन्द्राज है। अपीलाण्ट ने खाद्य सुरक्षा योजना के गेंहूं का दुरुपयोग नहीं किया है बल्कि अपीलाण्ट ने खाद्य सुरक्षा के गेंहूं का शिकायतकर्ताओं को वितरण किया गया है जो पोस व राशन कार्ड से साबित है। शिकायतकर्ताओं ने राजनैतिक रंजिश के कारण अपीलाण्ट के खिलाफ झूंठी शिकायत दर्ज करवाई थी। अपीलाण्ट ने खाद्य सुरक्षा के गेहूं का दुरुपयोग नहीं किया है। अपीलाण्ट ने सम्पूर्ण गेंहूं स्टॉक को अन्य डीलर श्री घनश्याम सिंह मांची को दिनांक 28.10.2020 को ट्रांस्फर कर दिया गया था। अपीलाण्ट पर जांच कमेटी द्वारा जो 23.22 क्विंटल गेंहूं के दुरुपयोग का आरोज लगाया गया था, वह गेंहूं अपीलाण्ट ने अन्य डीलर घनश्यामसिंह मांची को चार्ज देते समय जमा करवा दिया गया था जिसकी रसीद असल अपील के साथ पेश है। अपीलाण्ट द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त 2, 8, 17सी एवं 18 का उल्लंघन नहीं किया है। अपीलाण्ट द्वारा उचित मूल्य दुकान पर पीडीएस कण्ट्रोल आदेश 2015 के अनुरूप सूचनाओं का संधारण (पालन) किया है। अपीलाण्ट का प्राधिकार पत्र बिना किसी कारण के मनमानी पूर्वक तरीके से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत तरीके से प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत निर्णय पारित किया है जो अपास्त होने योग्य है। अपीलाण्ट नियमानुसार ही खाद्यान्न सामग्री का वितरण करता चला आ रहा था। अपीलाण्ट द्वारा खाद्यान्न सामग्री वितरण में खाद्य विभाग के आदेश की पूर्णरूपेण पालना की है। अपीलाण्ट ने राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश का उल्लंघन नहीं किया है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाने का कथन किया है।

प्रतिनिधि प्रत्यर्थी ने बहस के दौरान कथन किया है कि तहसील करौली की ग्राम पंचायत खूबनगर के उचित मूल्य दुकानदार श्री रामविलास मीना की ग्राम कोसरा के निवासियों द्वारा राशन सामग्री नहीं देने संबंधी शिकायत की जांच हेतु कार्यालय आदेश क्रमांक–820–823 दिनांक 08.09.2020 द्वारा जांच दल का गठन किया गया। जांच दल द्वारा ग्राम भौडेर स्थित उचित मूल्य दुकान पर पहुंच कर मौके पर उपस्थित शिकायतकर्ताओं/उपभोक्ताओं से पूछताछ करने पर बताया कि राशन डीलर द्वारा माह अगस्त 2020 में केवल एक बार ही गेंहूं दिया गया जबकि राशन डीलर द्वारा पोस मशीन पर दो बार अंगूठा लगवाये गये। जांच दल द्वारा उपस्थित उपभोक्ताओं के राशनकार्डों की ऑनलाइन वितरण रिपोर्ट देखने पर राशन डीलर द्वारा अगस्त 2020 में उनके राशनकार्डों पर दो बार गेंहूं का वितरण करना पाया गया जबकि वास्तविक रूप से उन्हें एक बार ही गेंहूं का वितरण करना पाया गया। पोस मशीन संख्या 19160 में दर्ज स्टॉक एवं उचित मूल्य दुकान में उपलब्ध राशन सामग्री के अवशेष स्टॉक का भौतिक सत्यापन करने पर 23.22 क्विं. गेंहूं कम पाया गया। उचित मूल्य दुकानदार द्वारा उचित मूल्य दुकान पर पीडीएस कण्ट्रोल आदेश 2015 के अनुरूप सूचनाओं का संधारण नही करना पाया गया। उक्त अनियमितताएं करने पर ग्राम पंचायत खूबनगर के उचित मूल्य दुकानदार श्री रामविलास मीना का प्राधिकार पत्र कार्यालय आदेश क्रमांक 1140–1146 दिनांक 29.09.2020 द्वारा निलंबित किया गया एवं नोटिस 1147 दिनांक 29.09.2020, 1254 दिनांक 21.10.2020 एवं जरिये रजिस्टर्ड डाक नोटिस क्रमांक 1462 दिनांक 14.12.2020 जारी किया गया। अपीलाण्ट द्वारा अनियमितताओं के संबंध में जारी नोटिसों का स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करने पर अपीलाण्ट द्वारा राशन सामग्री का दुरुपयोग कर कालाबाजारी करना प्रमाणित होता है। अपीलाण्ट द्वारा बाद में दिनांक 18.10.2020 व 28.

जिला कलक्टर
करौली

10.2020 को अटैच डीलर को गेंहूं दिया गया है जो उसकी ''बाद की सोच'' को दर्शाता है। इस प्रकार विधिक कार्यवाही उपरांत अपीलार्थी राशन डीलर का राशन प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाने का कथन किया है।

बहस उभय पक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का गहनता से अवलोकन कर मनन किया गया। ग्राम पंचायत खूबनगर के राशन उपभोक्ताओं की शिकायत पर जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा जांच दल गठन किया जाकर अपीलार्थी राशन डीलर की राशन दुकान की जांच करवाई गई। मौके पर राशन उपभोक्ताओं के बयान लिये गये जिनमें राशन उपभोक्ताओं ने बताया कि माह अगस्त 2020 में उन्हें केवल एक बार ही गेंहूं दिया गया जबकि पोस मशीन पर दो बार अंगूठा लगवाया गया। मौके पर उपस्थित राशन उपभोक्ताओं की ऑनलाइन राशन वितरण रिपोर्ट देखने पर अपीलार्थी राशन डीलर द्वारा दो बार ऑनलाइन राशन वितरण करना पाया गया जबकि वास्तविक रूप से राशन उपभोक्ताओं को केवल एक बार ही राशन वितरण किया गया। अपीलार्थी राशन डीलर की पोस मशीन में दर्ज राशन सामग्री व मौके पर मौजूद राशन सामग्री का भौतिक सत्यापन करने पर 23.22 क्विं. गेंहूं कम पाया गया जिसका अपीलार्थी राशन डीलर द्वारा दुरुपयोग किया जाना विदित होता है। अपीलार्थी राशन डीलर द्वारा बाद में दिनांक 18.10.2020 व 28.10.2020 को अटैच डीलर को गेंहूं दिया गया है जो उसकी ''बाद की सोच'' को दर्शाता है। जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा अपीलाण्ट को सुनवाई हेतु नोटिस क्रमांक 1147 दिनांक 29.09.2020, 1254 दिनांक 21.10.2020 एवं जरिये रजिस्टर्ड डाक नोटिस क्रमांक 1462 दिनांक 14.12.2020 जारी किये गये लेकिन अपीलार्थी ने उनका कोई जवाब पेश नहीं किया। इस न्यायालय में अपीलार्थी राशन डीलर द्वारा कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं किये गये हैं। इस प्रकार राशन उपभोक्ताओं से पोस मशीन पर दो बार अंगूठा लगवाये जाकर ऑनलाइन दो बार राशन सामग्री का वितरण किया जाना जबकि राशन उपभोक्ताओं को वास्तविक रूप से केवल एक बार ही राशन सामग्री दिया जाना गंभीर अनियमितता की श्रेणी में आता है। इसलिये हम अपील अपीलाण्ट को खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। जिला रसद अधिकारी करौली का आदेश दिनांक 29.12.2020 यथावत् रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित जिला रसद अधिकारी करौली का अभिलेख वापिस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.08.2021 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
जिला कलक्टर
करौली